

Mental Health Care Act - 2017

उद्देश्य :

- मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज और सेवा को सुनिश्चित करना।
- आत्महत्या का अपराध की श्रेणी से बाहर करना।

प्रमुख प्रावधान / लक्षण :-

- सभी सरकारी अस्पतालों में, मानसिक तौर से इलाज का अधिकार तथा बेघर एवं गरीब मरीजों को मुक्त इलाज का प्रावधान (भाग-13)।
- मानसिक तौर पर बीमार व्याक्ति को लिखित रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार कि उसका इलाज और देखभाल किस प्रकार से किया जाये (धारा-13)।
- मानसिक रूप से बीमार व्याक्ति को देखभाल हेतु 'प्रतिनिधि' की नियुक्ति का प्रावधान (धारा-14)
- आत्महत्या का प्रयास करने के मामले को एक मानसिक बीमारी मानते हुए, ऐसे मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर

करने और पीड़ित व्यक्तियों को सजा न देने का प्रावधान - यदि वह गहरे अतृप्त एवं परेशानियों के कारण आत्महत्या कर रहा है तो (धारा-115)
(पहले IPC की धारा - 309 के तहत आत्महत्या को अपराध माना जाता था।)

- समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार भेदभाव से निषेध का अधिकार तथा क्रूर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार।

- मानसिक रोगी को यह तय करने का अधिकार की - इसकी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी जायेगी।

- राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन तथा राज्यों में भी इसके गठन का प्रावधान। (धारा-33 एवं 45)

- Mental Health Review Board के गठन का प्रावधान, जिससे मानसिक रोगी के अधिकारों की रक्षा की जा सके और समय रहते उचित निर्देश दिये जा सकें (धारा-73)

- कानून के उल्लंघन पर द. माह जेल या 10 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान और

अपराध दोहराने पर 5 लाख तक जुर्माना या 2 वर्ष का जेल या दोनों का प्रावधान (धारा- 104 से 109)।

इन अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर चलाने का प्रावधान।

↓

(2023 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अमेडमेंट अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें 2017 के कानून में कुछ एक संशोधन किये गए हैं।

समीक्षा / निष्कर्ष

निश्चित रूप से यह अधिनियम मानसिक रूप से बीमार लोगों के प्रति लोक कल्पाणकारी राज्य की चिंता एवं संबंधनशीलता को दर्शाता है और इनके कल्पाण एवं रक्षोपाय का प्रावधान करता है।

परन्तु इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसको हृदयच्छाशक्ति के साथ तथा विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा संबंधनशीलता के साथ लागू किया जाए।

क्योंकि भाविकांश राज्यों में अभी तक मेंटल हेल्थ रिस्पू बोर्ड तथा मेंटल हेल्थ ऑथारिटी की स्थापना नहीं की गयी है।

- Feb 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के कई स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

8 जुलाई 2024 को दिव्यांग के सम्पर्क में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एवं दिशानिर्देश :-

विजुअल मीडिया से जुड़े फ़िल्म में भेदभाव करने या दिव्यांग बने शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए जैसे- बूढ़ा, लड़का, अंधा आदि।

- ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचे जो दिव्यांगों के द्वारा सम्मान की गई चुनौतियों की उपेक्षा करती हो और लोगों को उनके बारे में ग़लत जानकारी देती हो।

- विजुअल मीडिया क्रियेटर्स सुनिश्चित करें कि उनके पास उस दिव्यांग से जुड़ी पूरी मेसैजल हिस्ट्री है या नहीं।

विधायकों के लिए राष्ट्रीय नीति: प्रमुख लक्षण

- विकलांगता की रोक थाम पर बल।
- विकलांगों के पुनर्वास पर बल - इस पुनर्वास को तीन श्रेणियों में बांटा गया है -
 - (i) शारीरिक पुनर्वास
 - (ii) शैक्षिक पुनर्वास
 - (iii) आर्थिक पुनर्वास
- विकलांग महिलाओं के शोषण से रक्षा पर बल।
- विकलांग बच्चों की देख-रेख एवं सुरक्षा पर बल।
- विकलांगता का प्रमाणपत्र जारी करना।
- इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन।
- विकलांगता से जुड़ी जानकारीयों इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना एवं उनका अनुसंधान करना।
- उनके लिए खेल-कूद मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन का सुनिश्चित करना
- विकलांगता से संबंधित वर्तमान कानून में संशोधन करना।

इस नीति के कार्यान्वयन एवं समन्वयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के DEPT का उत्तरदायी बनाया गया है।

दिव्यांग जनों के विकास एवं कल्याण हेतु योजनागत प्रयास :-

1. Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP - 1981/2017 DEPT)

NGO तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दिव्यांग जनों को आधुनिक सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराकर उनका शारीरिक पुनर्वास करना।

2. Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) - 1999, 2018

(दिव्यांगों के अशक्तिकरण हेतु दिव्यांग जनों की शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए काम करने वाले NGO को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।)

3. सुगम्य भारत अभियान - 2015

(विकलांग व्याक्तियों की समान अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने एवं

आत्मनिर्भरतापूर्वक जीवन जीने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना)।

5. SIPDA योजना के तहत दिव्यांगजनों में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP)-2016

6. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के तहत संचालित योजनाएँ -

- दिव्यांगजन स्वावलम्बन योजना
(स्वरोवगाह हेतु 50 लाख तक रिपेयर्ती ऋण उपलब्ध कराना)।
- विशेष मास्को-फार्मेशन योजना
(लघु व्यवसाय हेतु रिपेयर्ती ऋण उपलब्ध कराना)।
- दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना -
- NGO के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

7. National Trust for welfare of persons with Disabilities के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ।

8. दिव्यांग छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए Pre Matric / Post Matric छात्रवृत्तियों, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, भव्येतावृत्ति, समुद्रवारीय छात्रवृत्ति, निःशुल्क योजना।

